

### अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं), रेहनकर्ताओं एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/गिरवी/प्रभारित निम्न वर्णित चल/अचल संपत्तियों का निर्माण/विक्रय/भौतिक/सांकेतिक कब्जा जोकि, बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्बन्धित ऋणकर्ताओं व गारंटर्स से बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहाँ है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित कीमत एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

### प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

| क्रम सं. | शाखा का नाम            | अचल रेहन रखी संपत्ति/यों का व्योरा एवं स्वामी (यों)/ रेहनकर्ता का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत प्रांग सूचना की तिथि<br>बी) बकाया राशि<br>सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि<br>डी) सांकेतिक/भौतिक/निर्माण/विक्रय कब्जे की प्रकृति                                                 | आरक्षित कीमत<br>जमा धरोहर राशि (ईएमडी)<br>संवर्द्धित बोली राशि | ई-नीलामी की तिथि एवं समय                            |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.       | शाखा (एआरएमबी चंडीगढ़) | लॉट : (I) 0K-8M माप की भूमि, 6K-4M माप की भूमि में से 8/124 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 710/662, खतौनी संख्या 1055, आयत संख्या 148, खसरा संख्या 8(6-4), कुल कित्ता-1 शामिल है, जो वर्ष 2012-13 की जमाबंदी और बिक्री विलेख संख्या 1513/1 दिनांक 05.02.2008 को म्यूटेशन संख्या 9224 के साथ श्रीमती रेखा रानी के नाम पर गांव निसिंग, उप तहसील निसिंग, जिला करनाल में स्थित है।<br>लॉट : (II) 0K-8M माप की भूमि, 6K-4M माप की भूमि में से 8/124 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 710/662, खतौनी संख्या 1055, आयत संख्या 148, खसरा संख्या 8(6-4), कुल कित्ता-1 शामिल है, जो वर्ष 2012-13 की जमाबंदी और बिक्री विलेख संख्या 1514/1 दिनांक 05.02.2008 को म्यूटेशन संख्या 9223 के साथ श्रीमती रानी देवी के नाम पर गांव निसिंग, उप तहसील निसिंग, जिला करनाल में स्थित है।<br>सुभाष चंद (5) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद (6) श्री नीरज कुमार सभी निवासी मकान सं.-667, सैक्टर-7, अर्बन ऐस्टेट, करनाल-132001 | ए) 09.07.2019<br>बी) 27,77,78,622.95 रु. (केवल सत्ताईस करोड़ सतहत्तर लाख अठहत्तर हजार छः सौ बाईस रुपये एवं पचानवे पैसे) के साथ 01.06.2019 से भावी ब्याज एवं प्रभार (-) यदि कोई वसूली है तो, पूर्ण भुगतान तक।<br>सी) 16.09.2019<br>डी) सांकेतिक कब्जा | Rs. 10,69,200/-<br>Rs. 1,06,920/-<br>Rs. 50,000/-              | 20.03.2026<br>पूर्वा. 11.00 बजे से<br>अप. 04.00 बजे |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Rs. 10,69,200/-<br>Rs. 1,06,920/-<br>Rs. 50,000/-              | 20.03.2026<br>पूर्वा. 11.00 बजे से<br>अप. 04.00 बजे |

नोट : संपर्क व्यक्ति : पंजाब नैशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी : श्री जगदीश लाल, मो. : 7527842020, एआरएमबी चंडीगढ़, खाते का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा ईएमडी के बाद शेष राशि जमा कराई जाएगी : पंजाब नैशनल बैंक, एआरएमबी चंडीगढ़, खाता सं. 821400317118A, आईएफएससी कोड : PUNB0821400.

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें :- बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:-

- (1) सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहाँ है आधार" "जैसे है जो है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहाँ है आधार" पर की जाएगी।
- (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
- (3) नीलामी बिक्री को ई-ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।
- (4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया <https://baanknet.com> एवं [www.pnb.bank.in](http://www.pnb.bank.in) पर जाएं।
- (5) खरीददार घोषित किये गये व्यक्ति को इस प्रकार की घोषणा के बाद तुरंत "प्राधिकृत अधिकारी" के पास खरीद राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि को जमा करवाना होगा यह राशि जमा न करवा पाने पर, सम्पत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा व पुनः बेचा जायेगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों का वैधानिक नोटिस  
ऋणकर्ताओं/गारंटर्स को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट राशि के साथ-साथ अद्यतन तिथि तक ब्याज एवं अनुपांगिक खर्चों का भुगतान कर दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी एवं शेष देय राशि को वसूली लागत एवं ब्याज सहित की जायेगी।

दिनांक : 25.02.2026

स्थान : चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

Amar Ujala Date-27/02/2026, Page No-5